देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 15 अंक: 190 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...
राजनीतिक विरासत

पेज थ्री

देहरादून, शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2020

PAGE 3 PUBLICATION

मौसम अधिकतम 29.0° न्यूनतम 14.0°

37244.59

2 इमरान को तुर्की से दोस्ती पड़ी भारी

7 भारत के लिए खेलने को बेताब हैं सूर्यकुमार

संक्षिप्त समाचार

नहीं रहे गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

अहमदाबाद। प्रदेश की राजनीति के दिग्गज एवं दो बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे केशुभाई पटेल का गुरुवार सुबह निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री रुपाणी, भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल सहित कई वरिष्ठ नेता गांधीनगर पहुंच रहे हैं, केबिनेट की बैठक बुलाकर बापा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। गुरुवार सुबह सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें स्टर्लिंग अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने अंतिम श्वांस ली। केशुभाई के निधन से राज्य में एक दिन का शोक घोषित किया गया है।

कोविड-19 के लिए हर दिन करीब 11 लाख टेस्ट किए गए

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पिछले 6 सप्ताह में कोविड-19 के लिए औसतन लगभग 11 लाख नमूनों की जांच की गई है और जांच की कुल संख्या 10.65 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि 15 लाख जांच अब प्रतिदिन की जा सकती हैं। उसने बताया, शपिछले तीन सप्ताह में संक्रमण दर में गिरावट का रुझान देश की जांच सुविधाओं के व्यापक विस्तार का प्रमाण है।

एयर पॉल्यूशन रोकने के लिए सख्त कानून

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर प्रदूषण फैलाने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने नए अध्यादेश के जरिये प्रावधान किया है कि जो भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होगा, वह दोषी पाए जाने पर पांच साल तक कैद की सजा भुगतेगा और उस पर एक करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति ने बुधवार रात ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी।

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई जांच पर लगाई रोक

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में रावत के खिलाफ सीबीआई जांच कराए जाने संबंधी हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को कहा कि बगैर सीएम का पक्ष सुने ही हाई कोर्ट की तरफ से इस तरह का आदेश हैरान करने वाला है। रावत के वकील ने कहा की मुख्यमंत्री को सुने बगैर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती। इस तरह का आदेश निर्वाचित सरकार को अस्थिर करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई और दो पत्रकारों को

पक्षकारों से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे करप्शन के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने यह आदेश पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि बिगाड़ने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए दिया। शर्मा के खिलाफ देहरादून के एक थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश देते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने यह भी कहा कि इस

आरोप फर्जी और आधारहीनः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

रावत ने हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए याचिका में कहा है कि वह प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस विवाद में बेवजह उनका नाम घसीटा गया है। कहा कि उमेश शर्मा की हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में उनके खिलाफ किसी भी तरह की जांच या सीबीआइ जांच की मांग नहीं की गई थी। याचिका में उमेश ने सिर्फ यह मांग की थी कि उसके खिलाफ देहरादून में दर्ज एफआइआर 0265- 2020 रद की जाए। जो आरोप लगाये गए हैं वे पहली निगाह में फर्जी और आधारहीन हैं।

मामले के सभी दस्तावेज अदालत में जमा कराए जाएं।

पत्रकार उमेश शर्मा की याचिका पर दर्ज हुआ था मामलाः उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गत 27 अक्टूबर को पत्रकार उमेश शर्मा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के संबंध में दर्ज मामला रद कर दिया था। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के संबंध में सेवानिवृत्त प्रोफेसर हरेंद्र सिंह रावत ने उमेश शर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। हाई कोर्ट ने आदेश में उक्त एफआइआर को रद करने के साथ ही सीबीआइ को पत्रकार की याचिका में लगाए गए आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। फिलहाल उनके खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। यकीनन सीएम रावत के खिलाफ यह राहत की खबर है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावार

कांग्रेस ने किया सीएम के बर्खास्तगी की मांग को लेकर राजभवन कूच

संवाददाता

देहरादून। लेन देन प्रकरण के मामले में हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिये जाने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के बर्खास्तगी की मांग को लेकर राजभवन कूच किया। घंटों धरने पर बैठे रहे और बाद में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर पुलिस लाईन ले गई।

कांग्रेस जन कांग्रेस भवन में प्रदेश प्रभारी देवेन्द्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष डा. इंदिरा हृदयेश, सह प्रभारी राजेश धर्माणी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में इकटठा हुए और मुख्यमंत्री के बर्खास्तगी को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में राजभवन कूच किया और जैसे ही कांग्रेसजन हाथीबडकला स्थित

पुलिस चौकी के पास बैरीकैडिंग लगाकर सभी को वहीं रोक लिया और इस बीच पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोंकझोंक व धक्का मुक्की हुई और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेन्द्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बैरीकैडिंग पर चढ गये और कई कार्यकर्ताओं ने आगे बढने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें सफल नहीं होने दिया और सभी वहीं घंटों धरने पर बैठे रहे।

इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी देवेन्द्र यादव ने कहा है कि यह प्रदेश के इतिहास में एक बडा मामला है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पर उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप होने पर सीबीआई से जांच कराये जाने के आदेश दिये गये थे और इस पर मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था लेकिन मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली और इससे यह मामला और गंभीर बन गया है।

मूर्ति विजर्सन के बाद बवाल के खिलाफ फिर सड़क पर उतरे लोग

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

मुंगेर। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई गोलीबारी और श्रद्धालुओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के मामले ने गुरुवार को तूल पकड़ लिया। युवाओं ने जमकर बवाल किया और पुलिस जीप फूंक डाली। ये नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय तक पहुंच गए। भारी संख्या में पुलिस के पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण पाया जा सका। इस बीच चुनाव आयोग ने मुंगेर के जिलाधिकारी व आरक्षी अधीक्षक को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि नए जिलाधिकारी व आरक्षी अधीक्षक की पोस्टिंग आज ही कर दी जाएगी।

गुरूवार सुबह सैकड़ों युवा सड़कों पर उतर गए और नारेबाजी करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक जा पहुंचे। इन्होंने एसपी कार्यालय परिसर में लगे एक वाहन के शीशे तोड़ डाले। पुलिस कार्यालय के आगे लगे बोर्ड को भी उखाड़ फेंका। इसके बाद युवाओं की टोली

हिंसा

■पुलिस जीप फूंकी, हटाए गए डीएम व एसपी

शहर में प्रदर्शन करते हुए पूरबसराय ओपी पहुंची। युवाओं ने पूरबसराय ओपी के सामने खड़ी पुलिस वाहन को आग के हवाले कर दिया। ये पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषी पुलिसकमयों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बाद में भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। इसके बाद युवा शांत हुए। इस घटना के बाद हर चौक-चौराहे पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।

प्रतिमा विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज मामले में मुंगेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक साथ मुफस्सिल थानाध्यक्ष और वासुदेवपुर ओपीध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया। डीएम ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अगर पुलिस की गलती सामने आई, तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी की याद रखा जाएगा।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

पाकिस्तान ने कबूला, पुलवामा हमले में था हाथ

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

इस्लामाबाद। पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकी पालने के आरोप को भले ही खारिज करता आ रहा हो, उसके खुद के मंत्री ने अब उसकी पोल खोल दी है। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने संसद में बोलते हुए डंके की चोट पर पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने ला दिया है। चौधरी ने पिछले साल पुलवामा

इमरान के मंत्री ने कहा-पूरे देश की कामयाबी

में किए गए आतंकी हमले को श्अपनी कामयाबीश करार दिया है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि यह हमला प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में देश की कामयाबी है।

दरअसल, एक दिन पहले ही विपक्ष के सांसद अयाज सादिक ने संसद में कहा था कि जब बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की कैद में थे, तब पाकिस्तान सरकार को डर सता रहा था कि भारत हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने दावा किया था कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विपक्षी दलों से कहा था कि अभिनंदन को जाने दें, वरना भारत रात 9 बजे हमला कर देगा।